कृषि को स्मार्ट तरीके से करने की आवश्यकता

कृषि कुंभ (अप्रैल, 2023),
खण्ड 02 भाग 11, पृष्ठ संख्या 34–35

कृषि को स्मार्ट तरीके से करने की आवश्यकता

आशीष कुमार वर्मा[1], अमन वर्मा[2], [1]रवि वर्मा

[1]शोध छात्र (सस्यविज्ञान),
[2]शोध छात्र (कृषि प्रसार शिक्षा),
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०), भारत।

Email Id: ashishverma9787@gmail.com

परिचयः

कई देश, विशेष रूप से जी–20, उनकी कृषि का समर्थन करते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियां हमेशा वैज्ञानिक आधार पर नहीं बनाई जाती हैं। वे अक्सर विभिन्न लॉबियों से प्रभावित होते हैं, जिनमें राजनेता भी शामिल हैं, जो चुनाव के समय मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी जैसे 'वोट के लिए खैरात' की पेशकश करते हैं। इस अदूरदर्शिता का परिणाम उप–इष्टतम या यहां तक कि तर्कहीन नीति विकल्पों में होता है, जो समय के साथ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और यहां तक कि किसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी, जिससे वैश्विक कृषि उत्पादन 2010 और 2050 के बीच 69% बढ़ जाएगा। इस मांग को पूरा करने के लिए, किसान और कृषि कंपनियां एनालिटिक्स और अधिक उत्पादन क्षमताओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर रुख कर रही हैं।

खेती और कृषि का महत्वः

खेती प्राचीन काल से की जाती है, और किसान खेती की रीढ़ हैं। दुनिया के लिए खेतों में अन्न पैदा करने के लिए किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुराने समय में, खेती पूरी तरह से श्रम प्रधान तकनीक थी जिसमें भारी मात्रा में समय और मेहनत लगती थी। जैसे–जैसे समय बदलता है, श्रम गहन तकनीकें पूंजी गहन में बदल जाती हैं जो कम प्रयास में उच्च उत्पादन प्रदान करती हैं। भारत में स्मार्ट खेती या स्मार्ट कृषि आवश्यक है जो किसानों को अपना उत्पादन और आय बढ़ाने में मदद कर सके। इस 21वीं सदी में जहां फोन इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हैं और हमारे किसान मानसून पर निर्भर हैं, जो यह तय करता है कि वे अपनी फसल बो सकते हैं या नहीं। यह भारतीय खेती को उन्नत करने की अत्यधिक आवश्यकता को दर्शाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का मुद्दा और कानूनी साधन की मांगः

आइए यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मामले पर चर्चा करते हैं, जिसे कई राजनीतिक दल कानूनी साधन बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की वैधता का मतलब है कि किसी को भी एमएसपी से कम पर एमएसपी की फसल खरीदने की इजाजत नहीं है। यदि यह मांग मान ली जाती है तो यह न केवल अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी बल्कि अंततः किसान विरोधी साबित होगी। कारण सरल हैः यह मूल तर्क की उपेक्षा करता है कि कीमतें बड़े पैमाने पर समग्र मांग और आपूर्ति से तय होती हैं। अधिशेष के मामले में, जो आम तौर पर फसल के समय होता है, बाजार खाली करने के लिए कीमतें गिर जाती हैं। यदि MSP उस बाजार समाशोधन मूल्य से अधिक है, तो निजी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति खरीदने को तैयार नहीं होगा। उस स्थिति में, सरकार को अंतिम उपाय का खरीदार बनना होगा। अन्यथा, किसानों को उनकी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं मिलेगा, जिससे किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। मुद्दा यह है कि सरकार कितनी वस्तुओं की कितनी खरीद कर

सकती है और सरकार की लागत क्या होगी। आज तक, केंद्र 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करता है– सात अनाज (चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), पांच दालें (तूर, मूंग, चना, उड़द और मसूर), सात तिलहन (सोयाबीन, मूंगफली) , तोरिया–सरसों, तिल, कुसुम, सूरजमुखी और नाइजरसीड) और चार वाणिज्यिक फसलें (गन्ना, कपास, जूट और खोपरा)। हालाँकि, मुख्य खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को खिलाने के लिए बड़े पैमाने पर चावल और गेहूं के लिए होती है। चावल और गेहूं के पीडी–इश्यू–कीमतों पर सरकार को उनकी आर्थिक लागत का 90% से अधिक सब्सिडी दी जाती है। 2020–21 में, खाद्य सब्सिडी बिल केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व का लगभग 30% था, जो सिस्टम में एक विशाल उपभोक्ता–पूर्वाग्रह को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब तक इस पीडीएस में सुधार नहीं किया जाता है, या तो इसे आबादी के निचले हिस्से के 30: तक सीमित कर दिया जाता है या चावल और गेहूं की आर्थिक लागत का आधा करने के लिए निर्गम–कीमत बढ़ा दी जाती है, तो किसानों को बेहतर सौदा मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार की वित्तीय।

किसानों की चिंताः

- भारत की 86 प्रतिशत से अधिक खेती की भूमि छोटे किसानों द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिनके पास दो हेक्टेयर (पांच एकड़) से कम भूमि है।
- नए नियम उनके कई सुरक्षा उपायों को हटा देते हैं। छोटे किसानों को डर है कि जब वे बड़ी कंपनियों को अपनी उपज बेचने के लिए बातचीत करते हैं, तो उनके पास पर्याप्त सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है, जिससे वे एक सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक कीमतों को प्राप्त कर सकें।
- नए कानून भी लिखित अनुबंधों को अनिवार्य नहीं बनाते हैं। इसलिए उनकी शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, एक किसान के लिए यह साबित करना बहुत कठिन हो सकता है कि उन्हें बहुत कम सहारा देकर पीड़ित किया गया है।
- नए नियम किसी भी उत्पाद के लिए किसी न्यूनतम मूल्य की गारंटी नहीं देते हैं, और किसानों को चिंता है कि मौजूदा एमएसपी को किसी बिंदु पर समाप्त कर दिया जाएगा।

किसानों को बेहतर सौदा देने का क्या तरीका है?

उच्च एमएसपी या पीडीपी के माध्यम से बाजारों को विकृत किए बिना सीधे किसानों के खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रति हेक्टेयर के आधार पर आय नीति का उपयोग करना बेहतर हो सकता है। भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता के माध्यम से, किरायेदारों और मालिकों की बेहतर पहचान करके इसे सुधारा जा सकता है। 'बाजारों को ठीक करने' का कोई आसान विकल्प नहीं है। अनुसंधान साक्ष्य हमें बताते हैं कि टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी तरीके से कृषि का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका कृषि–अनुसंधान एवं विकास, कृषि–विस्तार प्रणालियों में निवेश करना है, और कुशल मूल्य–श्रृंखलाओं का निर्माण करके किसानों को घरेलू और बाहरी आकर्षक बाजारों से जोड़ना है। किसानों को सर्वोत्तम तकनीकों और सर्वोत्तम बाजारों को चुनने का अधिकार देना कृषि–प्रणालियों के मजबूत कामकाज और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मौलिक है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के अन्य उपायः

किसानों को अपने खेतों के लिए संसाधनों, भूमि, आदानों, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक रूपों का सर्वोत्तम मिश्रण निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए। राज्य ने बहुत लंबे समय से किसान परिवारों को ऊपर से नीचे उत्पादन, विपणन और वितरण योजनाओं के अधीन रखा है। किसानों को, गैर–कृषि क्षेत्र के उद्यमियों की तरह, कृषि में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए, अपनी शर्तों पर और जिसके साथ वे चाहें अनुबंध करें। मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है जो देश भर में किसानों और कृषि संसाधनों की अधिक गतिशीलता की अनुमति दें। एक सच्ची विकेन्द्रीकृत राजनीति के भीतर, असम में एक किसान को ''पंजाब मॉडल'' से उतना ही लाभ होना चाहिए जितना कि पंजाब में किसानों को और इसके विपरीत।